केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/296 दिनांक: 25.10.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00288
CICOM/R/2017/01268

अपीलकर्ता : श्री अभिषेक कुमार,
बुनियाद नगर, भनपुरी,
बिरगांव, रायपुर,
छत्तीसगढ़ - 493221.

निर्णय की तारीख : 25.10.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.03.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	----------
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	--------
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.09.2017
आयोग में प्रथम अपील की डायरी सं. व तिथि	FAA/407/17.10.2017 (171992/16.10.2017)

1. अपीलकर्ता द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को संबोधित दिनांक 21.03.2017 का आवेदन जिसके बिंदु सं. 11, 12, 13, 15 एवं 17 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 12.06.2017 को पत्र सं.2/2/2017-आर.टी.आई.सी./02030 के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया । अपीलकर्ता का दिनांक 18.09.2017 का प्रथम अपील जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को संबोधित है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2017 को पत्र सं.2/2/2017-आर.टी.आई.सी./1272746 के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अग्रसारित किया है ।

2. अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा सूचित किया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के डाक अनुभाग में दिनांक 16.06.2017 को प्राप्त हुआ तथा अपीलकर्ता के ही एक द्वितीय अपील फाइल के साथ लिंक हो जाने के कारण आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 17.10.2017 को ही प्राप्त हुआ है । अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा बिंदु सं. 11 एवं 17 से संबंधित सूचना दिनांक 20.10.2017 को उपलब्ध करवा दी गई है एवं दिनांक 18.10.2017 को बिंदु सं. 12 एवं 13 से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्री एस.सी.शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को एवं बिंदु सं. 15 से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.वी. कार्यालय को आर.टी.आई. - एम.आई.एस. द्वारा आवेदन अग्रसारित कर दिया गया है । **श्री एस. सी. शर्मा एवं श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को वांछित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाए ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस.सी.शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।
3. श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.वी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।

C.I.C. RECEIVED
30 OCT 2017
D. No..........
Initials..........